



346/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : 9036/28/76/एक/2018-19
सेवा में,

दिनांक : 04 जनवरी 2019

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-कुशीनगर।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	21122254644	IFSC Code ALLA0212191	221.838

(धनराशि लाख ₹० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०पा०प० पडरौना	वार्ड नं०-08 के अतर्गत मो० तिलक नगर में राजेश के घर से होते हुए हनुमान इण्टर मिडिएट कालेज से मुन्ना कालोनी तक इण्टरलाकिंग संड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.255
2	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०पा०प० पडरौना	वार्ड नं०-08 के अतर्गत मो० साहबगंज में हरिओम जी के घर से रेलवे कासिंग तक इण्टरलाकिंग संड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.037
3	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०पा०प० पडरौना	वार्ड नं०-13 के अतर्गत मो० कानू टोला में नगर पालिका चूंगी से होते हुए हनुमान मन्दिर से बाड़ी पुल तक इण्टरलाकिंग संड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	20.543
4	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०पा०प० पडरौना	वार्ड नं०-13 में श्री अशोक जी के घर से श्री मारकण्डेय जी के घर तक इण्टरलाकिंग संड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.656
5	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०पा०प० पडरौना	वार्ड नं०-22 के अतर्गत मो० नेहरू नगर में श्री बुढिया माता मन्दिर पुल से श्री शंकर भड़भूज के घर तक इण्टरलाकिंग संड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.823
6	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०पा०प० पडरौना	वार्ड नं०-08 में आबाकारी दिवाल से टी०बी० अस्पताल तक इण्टरलाकिंग संड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.447
7	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०पा०प० पडरौना	वार्ड नं०-08 में बाबू शर्मा के घर से राजेश अग्रवाल के घर तक इण्टरलाकिंग संड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.869
8	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०पा०प० पडरौना	वार्ड नं०-18 के अतर्गत मो० जयप्रकाश नगर में कन्हैया टाकीज के सामन से ओम मेडिकल जटहारा रोड तक इण्टरलाकिंग संड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.773



346/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
9	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०पा०प० पडरौना	वार्ड न०-21 के अंतर्गत मौ० इन्दिरा नगर में गोपाल शर्मा के दुकान से सूर्य नारायण मिश्र की दुकान तक इण्टरलाकिंग संड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.438
10	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०पा०प० कुशीनगर	वार्ड न०-05 के अंतर्गत मौ० बापू नगर में बाबूलाल के घर से नथुनी कुशवाहा के घर तक इण्टरलाकिंग संड़क निर्माण कार्य।	13.403
11	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०पा०प० कुशीनगर	वार्ड न०-25 के अंतर्गत मौ० गायत्रीपुरम में देशभक्त तिवारी के घर से राम तपस्या के घर तक इण्टरलाकिंग संड़क निर्माण कार्य।	4.675
12	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०पा०प० कुशीनगर	वार्ड न०-02 के अंतर्गत मौ० मां कोटेश्वरी नगर में मेन रोड से किस्मत अली के दरवाजे तक तथा धनेसर प्रसाद के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग संड़क निर्माण कार्य।	4.675
13	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०पा०प० कुशीनगर	वार्ड न०-02 के अंतर्गत मौ० मां कोटेश्वरी नगर में पानकली के घर से यासीन के घर तक इण्टरलाकिंग संड़क निर्माण कार्य।	2.353
14	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०पा०प० पडरौना	वार्ड न०-02 के अंतर्गत मौ० नौका टोला में चुंगी से अनन्या इण्टरप्राईजेज तक इण्टरलाकिंग संड़क निर्माण कार्य।	16.869
15	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०पा०प० पडरौना	वार्ड न०-02 में छावनी पुलिया से सुभाष चौक से नौका टोला चुंगी प० और दक्षिण तरफ तक इण्टरलाकिंग संड़क निर्माण कार्य।	19.333
16	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०पा०प० पडरौना	वार्ड न०-02 में छावनी पुलिया से सुभाष चौक से नौका टोला चुंगी प० और उत्तरी तरफ तक इण्टरलाकिंग संड़क निर्माण कार्य।	20.178
17	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०पा०प० पडरौना	वार्ड न०-12 के अंतर्गत मौ० बाल्मिकी नगर में नासिर के घर से महमूद के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	9.404
18	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०पा०प० पडरौना	वार्ड न०-12 के अंतर्गत मौ० बाल्मिकी नगर में बेलवा चुंगी से महमूद मास्टर के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	7.353
19	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०पा०प० पडरौना	वार्ड न०-10 के अंतर्गत मौ० बाल्मिकी नगर में बेलवा चुंगी से तपेश्वरी स्कूल से संजय मेडिकल स्टोर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	9.306
20	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०पा०प० पडरौना	वार्ड न०-10 में अजय लोहिया के घर से नविज के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.333
21	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०प० सेवरही	वार्ड न० 02, मौ० जानकी नगर में मौ० असलम के घर से रवीन्द्र कुशवाहा के घर तक इण्टरलाकिंग संड़क निर्माण कार्य।	6.762
22	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०प० सेवरही	वार्ड न० 02, मौ० जानकी नगर में प्रकाश जयसवाल के घर से श्रमदानी के घर तक इण्टरलाकिंग संड़क निर्माण कार्य।	3.221



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किस्त)
23	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०प० सेवरही	वार्ड नं० 02, मो० जानकी नगर में अनिरुद्ध पाण्डेय के घर से बाबू चन्द के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	6.762
24	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०प० सेवरही	वार्ड नं० 02, मो० जानकी नगर में आलम के घर से पारस के घर तक इण्टरलॉकिंग का कार्य।	8.319
25	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०प० सेवरही	वार्ड नं० 02, मो० जानकी नगर में श्रीजावती के घर से संतोष गुप्ता के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं सड़क निर्माण कार्य।	4.867
26	कुशीनगर	मु०अ०-37	न०प० सेवरही	वार्ड नं० 02, मो० जानकी नगर में बाबा के घर से पुष्पा जायसलाल के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	16.184
	योग				221.838

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दौरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक